

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३
संख्या—५९८ /८—३—१७—०६ महा/१४
लखनऊ: दिनांक: १३ जून, २०१७

कार्यालय—ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या—११७२/८—३—१४—१०७ विविध/१० लखनऊ दिनांक २२ जुलाई, २०१४ के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

- | | |
|--|--------------|
| १. सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
(जो आवास बन्धु में अधिशासी निदेशक/मुख्य कार्यपालक
अधिकारी के रूप में कार्यरत हों) | अध्यक्ष |
| २. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० | सदस्य |
| ३. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्कटेक्चर कालेज, लखनऊ | सदस्य |
| ४. निदेशक, आवास बन्धु। | सदस्य/संयोजक |
| ५. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु | सदस्य |
| ६. मुख्य अभियंता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। | सदस्य |

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- समिति के समर्त सदस्यगण।
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समर्त अधिकारीगण।
- उपाध्यक्ष, समर्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- अध्यक्ष, समर्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- नियंत्रक प्राधिकारी, समर्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
- निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसकी प्रतियां समर्त सम्बन्धित को अपने स्तर से भेजने/यथानिर्दिष्ट समिति की बैठकें आहूत किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)

विशेष सचिव